भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 261

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवासों की कमी का आकलन

†*261. श्री के. गोपीनाथः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के शहरी क्षेत्रों में आवासों की कमी के संबंध में किए गए अद्यतन आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने आवास स्वीकृत और पूरे किए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी केन्द्रीय सहायता राशि जारी की गई है;

(ग) क्या आवासों की अब तक आकलित की गई कमी और स्वीकृत आवासों से संबंधित संख्या के बीच कोई अंतर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 'सभी के लिए आवास मिशन' के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर इस अंतर को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'आवासों की कमी का आकलन' के विषय में दिनांक 06.08.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 261* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): 'भूमि' तथा 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), प्रवासी श्रमिकों तथा अर्द्ध-शहरी परिवारों सहित नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाएं संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आती हैं। बेघर व्यक्तियों, आवासों की उपलब्धता तथा उनकी गुणवत्ता संबंधी आंकड़े नियमित जनगणना के दौरान संकलित किए जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, 37.7 करोड़ की कुल शहरी आबादी में से 9,38,348 व्यक्ति बेघर थे तथा 17.4 प्रतिशत शहरी आबादी स्लम बस्तियों में रह रहे थी।

इसके उपरांत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्ववर्ती आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) ने बारहवीं पंच वर्षीय योजना (2012-17) के लिए देश में शहरी आवास की कमी का आकलन करने हेतु एक तकनीकी समूह (टीजी-12) का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार, बारहवीं योजना अवधि के प्रारंभ अर्थात वर्ष 2012 में कुल आवासीय कमी 187.8 लाख थी। रिपोर्ट में यह भी आकलन किया गया कि आवास की कमी मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय वर्ग (एलआईजी) में अधिक थी, जो पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के प्रमुख लक्षित लाभार्थी हैं।

(ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) दिनांक 25.06.2015 से देश-भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों से मिली सीख के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना में बदलाव किया है और देश-भर के शहरी क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों के दौरान 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 01.09.2024 से "सबके लिए आवास" मिशन के अंतर्गत पीएमएवाई-यू 2.0 का शुभारंभ किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

आवास की मांग परिवर्तनशील होने के कारण पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 111.48 लाख तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 16.20 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत, निर्माणाधीन तथा पूर्ण किए गए/लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों के साथ-साथ अनुमोदित एवं जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ): पीएमएवाई-यू ने मांग-आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है तथा इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग का आकलन करने हेतु मांग सर्वेक्षण कराएं। वर्ष 2017-18 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित आकलित मांग लगभग 112 लाख थी। आवास की मांग परिवर्तनशील होने के कारण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आवासों की स्वीकृति एक सतत कार्यकलाप है। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 111.48 लाख तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 16.20 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 दोनों योजनाओं को मिलाकर 2 करोड़ से अधिक आवासों को स्वीकृति प्रदान किए जाने की अपेक्षा है जो आकलित की गई मांग से भी अधिक है।

निर्धारित लक्ष्य में सुधार करने के लिए पात्र नागरिकों को पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब-पोर्टल के माध्यम से भी पोर्टल पर सभी विवरणों के साथ आवेदन करने की अनुमति दी गई है। योजना के दिशा-निर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है तथा लाभार्थियों की सूची का चयन/संवीक्षा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा की जाती है। एकीकृत वेब-पोर्टल https://pmay-urban.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

दिनांक 06-08-2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या 261* के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अनुमोदित और जारी स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सौंपे गए आवासों का केंद्रीय सहायता सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)				केंद्रीय सहायता की वित्तीय प्रगति (करोड़ रु. में)	
			स्वीकृत		निर्माणाधीन	पूर्ण/सौंपे गए		
			पीएमएवाई-यू	पीएमएवाई-यू 2.0			स्वीकृत	जारी की गई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,43,488	260	1	261	234	4	4
2	आंध्र प्रदेश	1,46,10,972	19,06,887	61,084	18,70,787	11,38,126	29,998	24,072
3	अरुणाचल प्रदेश	3,17,369	8,068	6,219	13,005	9,495	316	242
4	असम	43,98,542	1,69,626	52,317	1,84,600	1,48,507	3,745	2,589
5	बिहार	1,17,58,016	2,91,422	1,75,433	4,25,630	2,02,188	7,234	5,023
6	चंडीगढ़	10,26,459	1,256	30	1,286	1,286	29	29
7	छत्तीसगढ़	59,37,237	2,81,111	65,142	3,08,753	2,68,384	5,451	4,698
8	दिल्ली	1,63,68,899	29,976	3,649	33,625	33,625	705	705
9	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	3,43,446	9,947	765	10,712	10,454	217	211
10	गोवा	9,06,814	3,146	34	3,180	3,180	75	75
11	गुजरात	2,57,45,083	9,72,025	1,63,645	10,40,736	9,93,987	22,637	20,572
12	हरियाणा	88,42,103	1,14,667	21,441	87,475	74,658	2,474	1,692
13	हिमाचल प्रदेश	6,88,552	12,640	1,394	13,429	12,142	245	229
14	जम्मू और कश्मीर	33,87,571	42,584	3,398	43,907	35,961	734	544
15	झारखंड	79,33,061	2,29,156	14,187	2,10,794	1,70,450	3,815	3,216
16	कर्नाटक	2,36,25,962	5,76,956	1,124	4,98,868	4,06,720	9,700	7,778
17	केरल	1,59,34,926	1,61,957	294	1,55,725	1,43,267	2,702	2,500
18	लद्दाख	45,671	987	151	1,071	1,009	34	27
19	मध्य प्रदेश	2,00,69,405	9,46,592	93,349	9,98,165	9,10,322	16,984	16,101
20	महाराष्ट्र	5,08,18,259	11,85,439	1,98,801	12,16,585	10,74,552	25,359	20,446
21	मणिपुर	8,34,154	52,519	3,528	51,225	24,046	868	615

22	मेघालय	5,95,450	4,758	3,934	4,580	3,138	161	85
23	मिजोरम	5,71,771	39,150	1,554	39,361	34,262	636	534
24	नागालैंड	5,70,966	31,067	6,156	32,164	30,228	631	497
25	ओडिशा	70,03,656	2,03,380	33,736	2,01,292	1,74,404	3,682	2,916
26	पुडुचेरी	8,52,753	15,995	3,757	19,269	12,923	338	274
27	पंजाब	1,03,99,146	1,20,990	37,778	1,35,494	1,05,497	2,714	2,198
28	राजस्थान	1,70,48,085	2,92,400	88,246	3,44,873	2,76,804	6,663	5,858
29	सिक्किम	1,53,578	301	-	301	220	6	6
30	तमिलनाडु	3,49,17,440	6,67,138	18,577	6,73,709	6,32,085	11,239	10,892
31	तेलंगाना	1,36,08,103	2,48,074	1,41,298	2,73,453	2,29,673	6,552	4,169
32	त्रिपुरा	9,61,453	87,895	4,318	88,966	82,942	1,517	1,375
33	उत्तर प्रदेश	4,44,95,063	17,60,866	3,99,313	20,41,278	17,25,799	33,628	30,248
34	उत्तराखंड	30,49,338	63,605	3,484	65,866	56,244	1,221	1,114
35	पश्चिम बंगाल	2,90,93,002	6,15,105	11,950	6,11,396	5,38,363	10,086	8,963
कुल		37.71 करोड़	111.48 लाख*	16.20 लाख*	121.03लाख*	99.07लाख*	2.12 लाख करोड़	1.81 लाख करोड़

***मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (3.42 लाख) और निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।**